भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 430

दिनांक 22.07.2025 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायतों का कार्यकरण

†430. श्री बसवराज बोम्मई:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में ग्राम पंचायतें पंचायत भवनों के साथ/ के बिना कार्यरत हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों के कंप्यूटराइजेशन के लिए कोई कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) विशेष ग्राम सभा सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कितने ग्राम पंचायतों को कवर किया गया था और प्रशिक्षण कार्यक्रम में किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया; और

(च) पंचायती राज के युवाओं और उनके प्रतिनिधियों द्वारा निभाई गई भूमिका का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) से (घ) संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन और ग्राम प्रशासन राज्य का विषय होने के कारण, पंचायतों में कंप्यूटरीकरण सहित बुनियादी ढाँचे के विकास की प्राथमिक ज़िम्मेदारी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की है। हालाँकि, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत, मंत्रालय, पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, सीमित पैमाने पर, पंचायती बुनियादी ढाँचे के निर्माण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत, मंत्रालय पंचायत भवन और कंप्यूटर एवं अन्य सहायक उपकरणों सहित पंचायतों के भीतर प्रमुख बुनियादी ढाँचे के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करता है। योजना के तहत अब तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 12,940 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण और 52,562 कंप्यूटरों की खरीद की स्वीकृति दी गई है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य/संघ राज्य प्रदेशवार विवरण पंचायत भवन सहित/बिना ग्राम पंचायतों की सूची **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

(ङ) विशेष ग्राम सभा सह-उन्मुखीकरण कार्यक्रम सरकार की विशिष्ट पहलों, योजनाओं या परियोजनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम नागरिकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और पंचायती राज (पीआर) अधिकारियों को व्यापक रूप से संगठित करने के लिए मंच प्रदान करते हैं, जिसका उद्देश्य संबंधित योजना, पहल या परियोजना के बारे में जागरूकता बढ़ाना और महत्वपूर्ण जानकारी का प्रसार करना है। विभिन्न अवसरों पर आयोजित विशेष ग्राम सभा सह-उन्मुखीकरण कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

(i) **2 अक्टूबर 2024:** जीपीडीपी, एसडीजी (एलएसडीजी) का स्थानीयकरण, केंद्रित योजना के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा संकल्प और एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

(ii) **15-26 नवंबर 2024**: (जनजातीय गौरव दिवस): पेसा अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) शामिल हैं।

(iii) **18 जनवरी 2025:** स्वामित्व योजना के विषय पर आयोजित।

(iv) **8 मार्च 2025:** (अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस): चयनित ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिसका उद्देश्य उन्हें महिला-अनुकूल पंचायतों के रूप में विकसित करना है।

ऑनलाइन मंच के माध्यम से आयोजित और संग्रहित विशेष ग्राम सभा सह-उन्मुखीकरण कार्यक्रमों का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(च) मंत्रालय की पहल के अंतर्गत चुनिंदा ग्राम पंचायत समूहों में युवा अध्येताओं (पंचायती राज सहयोगी) को नियुक्त किया जाता है। यदि किसी विशेष ग्राम सभा के लिए चयनित पंचायत युवा अध्येताओं के समूह में आती है, तो वे उस आयोजन के लिए नोडल अधिकारी-सह-समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं। इस क्षमता में, वे कार्यक्रम की योजना बनाने और क्रियान्वयन में सहायता करते हैं, स्थल चयन और प्रतिभागियों को जुटाने जैसे कार्यों का समन्वय करते हैं, आईईसी सामग्री (पोस्टर, बैनर, फ्लिप चार्ट) की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं, कार्यक्रम के आयोजन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों को सहायता प्रदान करते हैं, और मंत्रालय के ऑनलाइन मंच पर कार्यक्रम से संबंधित डेटा और रिपोर्ट अपलोड करते हैं।

इसके अतिरिक्त, युवा फेलो निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ मिलकर प्रभावी सामुदायिक भागीदारी, ग्राम सभा का सुचारू संचालन, और चर्चाओं एवं परिणामों का उचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करते हैं।

****

अनुलग्नक- I

दिनांक 22/07/2025 को पूछा जाने वाला लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 430 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पंचायत भवन सहित/बिना ग्राम पंचायतों का राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	कुल जीपी/टीएलबी	भवन युक्त जीपी	जीपी भवन के बिना जीपी
1	आंध्र प्रदेश	13371	12139	1232
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	1182	926
3	असम	2192	1934	258
4	बिहार	8053	1548	6505
5	छत्तीसगढ	11693	11623	70
6	गोवा	191	183	8
7	गुजरात	14648	12047	2601
8	हरियाणा	6227	2690	3537
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3537	78
10	जम्मू और कश्मीर	4291	3964	327
11	झारखंड	4345	4247	98
12	कर्नाटक	5948	5690	258
13	केरल	941	940	1
14	मध्य प्रदेश	23011	21556	1455
15	महाराष्ट्र	27943	23454	4489
16	मणिपुर	161	134	27
17	मेघालय	6431	5372	1059
18	मिजोरम	834	470	364
19	नगालैंड	1315	753	562
20	ओडिशा	6794	5576	1218
21	पंजाब	13236	8329	4907
22	राजस्थान	11193	11193	0
23	सिक्किम	199	185	14
24	तमिलनाडु	12525	11694	831
25	तेलंगाना	12848	10160	2688
26	त्रिपुरा	606	588	18
27	उत्तर प्रदेश	57691	55058	2633
28	उत्तराखंड	7817	7037	780
29	पश्चिम बंगाल	3339	3252	87
	केंद्र शासित प्रदेश			
1	अंडमान और निकोबार	70	68	2
2	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	42	42	0
3	लक्षद्वीप	10	10	0
4	लद्दाख	193	185	8
5	पुद्दुचेरी	108	108	0
	कुल	**263989**	**226948**	**37041**

अनुलग्नक- II

दिनांक 22/07/2025 को पूछा गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 430 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

विशेष ग्राम सभा सह-अभिविन्यास कार्यक्रमों का राज्य/संघ शासित प्रदेशवार विवरण

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2 अक्टूबर, 2024	15-26 नवंबर, 2024	18 जनवरी, 2025	8 मार्च, 2025
1	आंध्र प्रदेश	13	269	0	0
2	असम	5	328	0	26
3	अरुणाचल प्रदेश	19	7	0	0
4	अंडमान और निकोबार	0	0	0	2
5	बिहार	85	297	0	38
6	छत्तीसगढ	86	4626	850	0
7	गोवा	1	14	0	0
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2	26	0	3
9	गुजरात	16	2388	394	32
10	हरियाणा	1	0	0	13
11	हिमाचल प्रदेश	11	87	27	11
12	जम्मू और कश्मीर	0	215	174	20
13	झारखंड	103	0	0	0
14	कर्नाटक	10	364	0	31
15	केरल	2	40	0	14
16	लद्दाख	0	98	22	2
17	मध्य प्रदेश	71	6807	8143	47
18	महाराष्ट्र	45	0	1054	32
19	मणिपुर	2	143	0	6
20	मेघालय	1	994	0	12
21	मिजोरम	1	332	4	10
22	नगालैंड	2	507	0	11
23	ओडिशा	69	2278	3	3
24	पंजाब	0	0	117	18
25	राजस्थान	28	2090	1000	28
26	तमिलनाडु	11	125	0	32
27	तेलंगाना	12	440	0	22
28	सिक्किम	22	5	0	0
29	त्रिपुरा	5	297	0	8
30	उत्तर प्रदेश	54	291	21527	74
31	उत्तराखंड	10	109	0	10
32	पश्चिम बंगाल	4	572	0	20
कुल		**691**	**23749**	**33315**	**525**

***